भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3671

13 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्वेदिक औषधि के कारण मृत्यु

3671. श्री खलीलुर रहमान:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान गैर-मानक, अपरीक्षित आयुर्वेदिक औषधियों के सेवन के कारण हुई मौतों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) गैर-मानक आयुष औषधियों की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी दवाओं की जांच सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा परीक्षण मानकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है कि ऐसी एजेंसियों द्वारा अपरीक्षित नकली/अमानक आयुर्वेदिक औषधियों की आपूर्ति न की जाए?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान गैर-मानक, अपरीक्षित आयुर्वेदिक औषधियों के सेवन के कारण किसी मृत्यु की सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (घ): जैसा कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित है, आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी तथा होम्योपैथी औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण और औषधि लाइसेंस जारी करने से संबंधित कानूनी उपबंधों का प्रवर्तन, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य औषधि नियंत्रकों/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों में निहित है।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अध्याय IVक के अंतर्गत धारा-33-ङङख ऐसी आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी (एएसयू) औषधियों का बिक्री हेतु विनिर्माण का निषेध करती है जो इन औषधियों के संबंध में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएमएंडएच) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होती हैं। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा-33ङ, 33-ङङ, और 33-ङङक क्रमशः गलत ब्रांडेड, मिलावटी और नकली आयुर्वेद, सिद्ध तथा यूनानी (एएसयू) औषधियों को परिभाषित करती हैं।

इसके अलावा, धारा 33ङङग किसी भी गलत ब्रांड वाली, मिलावटी या नकली एएसयू औषधि के विनिर्माण पर रोक लगाती है। गलत ब्रांड वाली या मिलावटी या नकली एएसयू औषधियों के विनिर्माण के लिए या वैध लाइसेंस के बिना एएसयू औषधियों के विनिर्माण के लिए दंडों का प्रावधान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 33-झ के तहत किया गया है।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा-17, 17-क और 17-ख में गलत ब्रांड वाली, मिलावटी और नकली होम्योपैथिक औषधियों की परिभाषा दी गई है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा-27 में गलत ब्रांड वाली, मिलावटी और नकली होम्योपैथिक औषधियों के विनिर्माण या वैध लाइसेंस के बिना विनिर्मित, बेची गई या वितरित की गई औषधियों के लिए दंड का प्रावधान है।

औषधि निरीक्षक अपने क्षेत्राधिकार के भीतर विनिर्माण फर्मों या बिक्री की दुकानों से नियमित रूप से औषधियों के नमूने एकत्र करते हैं और उन्हें गुणवत्ता परीक्षण के लिए औषधि नियंत्रण विभाग के अंतर्गत औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में भेजते हैं और यदि कोई नमूना 'मानक गुणवत्ता का नहीं' पाया जाता है, तो समुचित कार्रवाई की जाती है जैसे कि बाजार से उत्पादों की बिक्री को रोक लिया जाता है और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(ग): भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएमएंडएच), जो आयुष मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) औषधियों के लिए फॉर्मूलरी विनिर्देश और भेषजसंहिता मानक निर्धारित करता है, जो एएसयूएंडएच औषधियों की गुणवत्ता (पहचान, शुद्धता और ताकत) का पता लगाने के लिए आधिकारिक संग्रह के रूप में काम आते हैं। एएसयूएंडएच औषधियों के परीक्षण या विश्लेषण के उद्देश्य से पीसीआईएमएंडएच, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है।

औषधि नियम, 1945 के नियम 160 क से ञ में, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा तथा यूनानी औषधियों (एएसएसयू) की पहचान, शुद्धता, गुणवत्ता और ताकत के ऐसे परीक्षण करने, जो आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा तथा यूनानी औषधियों (एएसएसयू) के विनिर्माण हेतु लाइसेंसधारक की ओर से इन नियमों के उपबंधों के तहत अपेक्षित हों, अनुमोदन देने के विनियामक दिशा-निर्देशों के प्रावधान हैं। अब तक, विनिर्माताओं के लिए 108 निजी प्रयोगशालाओं को स्वीकृत किया गया है/लाइसेंस दिया गया है, और 34 राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं, एएसएसयू औषधियों के वैध नमूनों और कच्ची सामग्रियों के परीक्षण में लगी हुई हैं।
